महत्वपूर्ण मामला

दिनांक **29.08.2020** को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली से **29** वर्षीय मृतक के संबंध में मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत हेतु एक प्रकरण विभाग को प्राप्त हुआ। मरीज को पेट में तेज दर्द घबराहट एवं दस्त होने के कारण दिनांक **25.12.2016** को एक Private Superspeciality Hospital बिलासपुर में भर्ती किया गया था (समय प्रातः 8.45 बजे)। जहाँ उपचार के दौरान दिनांक 26.12.2016 को दोपहर 1.55 बजे मृत्यु हो गयी। उपचार करने वाले चिकित्सकों द्वारा मृत्यु का कारण Acute abdomen with severe metabolic acidosis with unknown substance ingestion लेख किया गया । सघन चिकित्सा के बावजूद तेजी से मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति पेट के संक्रमण में नहीं होती है इसलिये जहरीली चीज का सेवन उपचार हेतु सबसे ऊपर रखा गया। शव परीक्षण CIMS बिलासपुर से संबद्ध चिकित्सालय में फॉरेंसिक मेडिसीन विभाग द्वारा किया गया। आमाशय में 100 ml. तरल पदार्थ तीक्ष्ण गंध के साथ पाया गया, आमाशय का आंतरिक भाग बहुत ज्यादा Congested सूजन लिये हुए काला - भूरा रंग का था। मृतक के दोनो होंठ, सभी नाखून नीले पड़ गये थे। सभी आंतरिक अवयव सामान्य व congested थे। मृत्यु के कारण के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया गया। Viscera रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस को सौंपा गया। F.S.L. रायपुर के रिपोर्ट दिनांक 05.03.2019 में Viscera जहर हेतु ऋणात्मक लेख किया गया। पुलिस द्वारा क्वेरी करने पर शव परीक्षण कर्ता चिकित्सक डॉ. मरकाम द्वारा दिनांक 24.09.2019 को संदिग्ध जहर सेवन से मृत्यु होने संबंधी अभिमत दिया गया। पुलिस द्वारा पुनः क्वेरी करने पर विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसीन डॉ. उल्हास गोन्नाडे एवं शव परीक्षण कर्ता डॉ. राजकुमार मरकाम द्वारा दिनांक 28.01.2020 को संदिग्ध जहर सेवन से मृत्यु होने संबंधी अभिमत दिया गया एवं पुनः क्वेरी किये जाने पर दिनांक 24.06.2020 को उक्त चिकित्सकों

द्वारा मृत्यु को Natural (स्वाभाविक) बताया गया। इस प्रकार उक्त चिकित्सकों द्वारा परस्पर विरोधाभासी अभिमत दिया गया। इस प्रकरण में संभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.02.2023 को अभिमत दिया गया था। इसी प्रकरण में कार्डियोलॉजी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 25.05.2023 को अभिमत दिया गया था। उक्त अभिमत संबंधी दस्तावेजों सहित मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत हेतु पुलिस द्वारा पुनः मेडिकोलीगल संस्थान में प्रकरण भेजा गया।

Investigation report reveals that –

1. Blood culture report – No organism isolated
2. Raised creatinine, SGOT and SGPT level
3. coagulopathy present
4. WBC level increased
5. Serum Amylase and lipase normal
6. Metabolic Acidosis present
7. CPK (serum creatine phosphokinase) normal
8. Partial thromboplastine time increased
9. Prothrombine time increased
10. ECG report showing Atrial fibrillation
11. Chest 'X' ray showing homogenous opacity involving bilateral lung field, blunting of Lt. C.P. angle.
12. 'X' ray abdomen showing no free gas under diaphragm.
13. Echo report was normal
14. USG abdomen report was normal

Treatment given :–

Antibiotics, pain killer, cardarone, noradrenaline, sodabicarb, vasopressin, magnesium sulfate, calcium gluconate, I.V. fluid etc.

R.T.A done but gastric content (Aspirate material) not handed over to police for chemical analysis.

In infection body temperature usually raised but these was not high temperature present

In natural death such set of clinical feature that develop all of sudden in deceased are not reported any where.

Severe pain in abdomen was because of severe inflammation and congestion in mucosa of stomach which was not due to any disease but due to poison and presence of blackish-brown material with unpleasent smell goes in favour that it was not edible material except poison.

R.B.S report was 232 mg/dl (normal ↓140) HBA1C was normal. Serum bicarbonate was decreased 4.7 mmol/L (normal 23-30 mmol/L) Leukocytosis 16200/micro liter (normal 4500-11000) serum creatinine was increased 2.3 mg/dl. Inflammation induced by poison do not respond to potent pain killer as were given to deceased. Besides pain in abdomen deceased was having loose motion, palpitation and increased frequency of micturition. These features together with autopsy findings suggest consumption of celphos poison.

डॉ. विकास कुमार ध्रुव प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान द्वारा दिनांक 27.01.2021 एवं दिनांक 27.09.2023 को अभिमत दिया गया कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक होकर रासायनिक विष एवं उसकी जटिलताओं के दुष्प्रभाव से होना प्रतीत होता है, जिसके साक्ष्यों के परिरक्षण में सम्मिलित लापरवाही के कारण नष्ट होना पाया गया। प्रथम उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा, प्रकरण संदिग्ध सल्फास जहर सेवन का होने की जानकारी के बावजूद मेडिकोलीगल प्रकरण के उपचार करने की सूचना सक्षम अधिकारिता वाले पुलिस अधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देने में लापरवाही बरती गयी। उपचार करने वाले चिकित्सक दल के द्वारा उपचार के दौरान रोगी के उल्टी, राइल्स ट्यूब एस्पिरेंट्स (Gastric lavage content)

रक्त एवं पेशाब के नमूने एकत्र कर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाने में लापरवाही बरती गयी जिससे प्रकरण संबंधी साक्ष्य नष्ट हो गये तथा जाँच रिपोर्ट से ईलाज में होने वाली सुविधा से रोगी वंचित हुआ। Coronary angiography and upper G.I. Endoscopy परीक्षण नहीं कराये गये जो उपचार में सहायक सिद्ध हो सकते थे। मृत्यु पूर्व कथन न्यायिक प्रशासन में सहयोगी साबित हो सकते थे को दर्ज कराने अथवा करने में लापरवाही बरती गयी। Viscera परीक्षण दो वर्ष पश्चात कराया गया जिसके कारण रिपोर्ट ऋणात्मक आया।

डॉ. विकास कुमार ध्रुव प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान रायपुर द्वारा दिये गये मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत दिनांक 27.09.2023 के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 304 (A) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं दिनांक 29.12.2023 को संबंधित चार चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।